

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2014—माघ 16, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्र. एफ-ए-3-20-2013-1-पांच-(03).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के निम्नलिखित वे वर्ग अधिसूचित करती है, जिनके वर्ष 2011-12 के कर निर्धारण के मामले मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन लंबित हैं तथा यह निदेश देती है कि वेट अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए उनका कर निर्धारण निम्नलिखित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए कर दिया गया समझा जाएगा :—

1. रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के वर्ग.—वर्ष 2011-12 के दौरान 10 करोड़ रुपये तक वार्षिक टर्न ओवर वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, किन्तु जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :—

- (1) ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना के अधीन छूट/ कर के संदाय के आस्थगन/ निवेश संवर्धन सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हों;
- (2) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वर्ष 2011-12 के लिए कर अपवंचन का पता लगा हो;
- (3) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कर की अतिरिक्त राशि के लिए सूचना जारी कर दी गई हो तथा इस अपेक्षा का पालन आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं किया गया हो;
- (4) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में कर संपरीक्षा के पश्चात् धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन सूचना जारी कर दी गई हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व इस अपेक्षा का पालन नहीं किया गया हो;
- (5) ऐसे मामले में जहां वेट अधिनियम, 2002 या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन उसे किसी प्रकार की वापसी शोध्य हो;
- (6) ऐसे व्यापारी जिनके निरस्त वेट पंजीयन प्रमाण-पत्र वर्ष 2011-12 के दौरान पुनःस्थापित किए गए हों.

2. **अधिनियम तथा कर निर्धारण वर्ष.**—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन वर्ष 2011-2012 के कर निर्धारण के लंबित मामले.

3. **आवेदन पत्र.**—वेट अधिनियम, 2002 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप "क", "ख" अथवा "ग" में, पृथक् से आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.

4. **आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा तथा सक्षम अधिकारी.**—पात्र व्यापारी द्वारा, इस अधिसूचना के संलग्न प्ररूप "क", "ख" अथवा "ग" में, जो भी उसे लागू हो, आवेदन इस स्कीम के प्रकाशन से 45 दिन के भीतर, उस कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके समक्ष वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण प्रकरण लंबित हो.

5. **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज.**—(1) प्रत्येक आवेदन पर पांच रुपये का एक न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया जाएगा.

(2) संबंधित वर्ष के लिए संदत्त किए गए कर तथा ब्याज की रकम के, यदि कोई हो, भुगतान के सबूत के रूप में चालान की एक प्रति.

(3) वेट अधिनियम के अधीन आवेदन के साथ (विक्रेता का नाम, टिन, बिल क्रमांक, दिनांक, बिल की रकम और पृथक् से संग्रहित किए गए वेट की राशि विनिर्दिष्ट करते हुए) आगत कर छूट के लिए क्रयों की सूची प्रस्तुत की जाएगी.

(4) प्रत्येक व्यापारी वित्तीय वर्ष 2011-12 में टर्न ओवर रुपये एक करोड़ से अधिक है तो वह चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा धारा 39 की उपधारा (2) के अनुसार तैयार की गई आडिट रिपोर्ट यदि पहले ही प्रस्तुत नहीं की गई हो, प्रस्तुत करेगा.

(5) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन (प्ररूप-सी/एफ/ई-1/ई-2/एच/आई), कर में छूट तथा कर की रियायती दर के लिए विहित घोषणा पत्र उनकी सूची के साथ संलग्न किए जाएंगे.

6. **उन व्यापारियों के लिए जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है.**—यदि किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जिसने इस अधिसूचना के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा विभागीय अभिलेख में, संबंधित कालावधि के दौरान किए गए क्रयों या विक्रयों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है या किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इस आशय की समाधानप्रद फील्ड क्षेत्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि संबंधित कालावधि के दौरान उसके द्वारा कोई क्रय अथवा विक्रय नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण कर दिया गया समझा जाएगा.

7. **आवेदन का चयन.**—आयुक्त, व्यापारियों से प्राप्त आवेदनों में से, ऐसे मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हुए, जैसा कि वह उचित समझे, चयन करेगा और तत्पश्चात् संबंधित अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार कर निर्धारण किया जाएगा.

8. **अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अधीन कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा.**—(1) यदि सक्षम अधिकारी, जिसके समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे अपूर्ण पाता है अथवा गणना के संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा.

(2) यदि यथापूर्वोक्त त्रुटि पाई जाती है तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाएगा और सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी तथा आवेदक को संसूचित की जाएगी.

(3) आवेदक, त्रुटियों को, यदि कोई हों, को दूर करेगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा. त्रुटियों के सुधार के पश्चात् सक्षम अधिकारी आवेदन स्वीकार करेगा और उसका कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा.

(4) यदि व्यापारी सुनवाई हेतु नियत तारीख को अनुपस्थित रहता है या त्रुटि नहीं सुधारी जाती है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी.

(5) आवेदन को स्वीकार किए जाने की सूचना आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जाएगी. उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर व्यापारी को संसूचना नहीं दिए जाने की दशा में, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है.

(6) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए समुचित अनुदेश आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किए जा सकेंगे.

प्ररूप-क

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण के लिये अधिसूचना क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . के अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी,

.....  
.....

1. व्यापारी का नाम एवं पता .....
2. (टिन) करदाता का पहचान क्रमांक .....
3. क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन 2011-12 के संबंध में किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था. यदि "हां" तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें हां/नहीं
4. ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक .....
5. ग्रास टर्न ओवर .....
6. कटौतियां :-
  - (क) पृथक् से प्रभारित भाड़ा या परिदान या संस्थापन व्यय की राशि .....
  - (ख) नगद छूट की राशि .....
  - (ग) छह माह के भीतर विक्रय वापसी की राशि .....
  - (घ) कर मुक्त घोषित किए गए माल की विक्रय राशि .....
  - (ङ) प्रदेश के बाहर विक्रय/ब्रांच ट्रांसफर की राशि (एफ फार्म संलग्न करें) .....
  - (च) अंतर्राज्यीय विक्रय की राशि .....
  - (छ) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय .....
  - (ज) अन्य कटौतियां (विवरण एवं साक्ष्य दें) .....

कुल कटौतियां (क से ज तक) .....
7. कर योग्य टर्नओवर (3-4) .....
8. कर योग्य टर्नओवर का दर के अनुसार वर्गीकरण .....

कर की दर	कुल विक्रय	देय कर
13 प्रतिशत		
5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
अन्य दर, यदि कोई हो		
कुल योग . .		

9. क्रय कर

दर	कर योग्य क्रय मूल्य	देय क्रय कर
13 प्रतिशत		
5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
योग . .		

## 10. आगत कर में छूट का अभिशून्यन (रिवर्सल)

दर	टर्नओवर	अभिशून्य किया गया आगत कर
13 प्रतिशत		
5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
कुल योग . .		

11. कुल योग (8+9+10) . . . . .

12. आगत कर में छूट की गणना

दर	टर्नओवर	आगत कर
13 प्रतिशत		
5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
कुल योग . .		

13. वर्ष 2010-11 के कर निर्धारण प्रकरण में कर निर्धारक अधिकारी द्वारा अग्रणीत आगत कर छूट की राशि. : . . . . .
14. वेत के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि : . . . . .
15. केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत छूट की राशि : . . . . .
16. अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को अंतरित आगत छूट की राशि : . . . . .
17. वर्ष 2012-13 के लिए अग्रणीत आगत कर छूट की राशि : . . . . .
18. देय शेष मांग (11-14) : . . . . .
19. धारा 18 (4) (क) के अधीन ब्याज की राशि (यदि देय हो) : . . . . .
20. धारा 18 (4) (ख) के अधीन शास्ति की राशि (यदि देय हो) : . . . . .
21. देय कर, ब्याज एवं शास्ति की कुल राशि (18+19+20) : . . . . .
22. चालानों द्वारा जमा राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो) : . . . . .
23. टी. डी. एस. प्रमाण-पत्रों की राशि (टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : . . . . .
24. वापसी समायोजन आदेश की राशि (आर. ए. ओ. नं.) : . . . . .
25. जमा राशि का योग (22+23+24) : . . . . .
26. शेष अतिरिक्त मांग (21-25) : . . . . .
27. वापसी की राशि, यदि कोई हो : . . . . .
28. अग्रणीत की गई आगत कर की छूट के कारण वापसी की राशि : . . . . .
29. कॉलम 13 एवं कॉलम 28 में दर्शाई गई राशि में अंतर होने की स्थिति में कारण विनिर्दिष्ट करें : . . . . .
30. आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक) : . . . . .

मैं, ..... का प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/ ..... एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर : . . . . .

फर्म का नाम : . . . . .

प्ररूप-ख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में  
अधिसूचना क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . के अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी),  
.....

1. व्यापारी का नाम एवं पता .....
2. (टिन) करदाता का पहचान क्रमांक .....
3. क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन 2011-12 के संबंध में किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था. यदि "हां" तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें. हां/नहीं
4. ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक .....
5. सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय .....
6. कटौतियां :-  
(क) पूर्णतः कर मुक्त माल का विक्रय मूल्य .....
- (ख) पश्चात्वर्ती विक्रय (सूची के साथ प्ररूप सी एवं ई-1/ई-2, संलग्न करें). .....
- (ग) अन्य कटौतियां (विवरण एवं साक्ष्य दें) .....
- कुल कटौतियां .....
7. कर योग्य विक्रय (5-6) .....
8. कर योग्य विक्रयों का दर अनुसार विभाजन .....

विवरण	विक्रय टर्न ओवर	कर की दर	कर की राशि
01. "सी" फार्म घोषणा पत्रों पर विक्रय (सूची के अनुसार).	.....	.....	.....
02. बिना "सी" फार्म घोषणा पत्रों के विक्रय	.....	.....	.....
03.	.....	.....	.....
04.	.....	.....	.....

9. देय कुल कर .....
10. वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो) .....
11. वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो) .....
12. कुल देय कर, उस पर ब्याज एवं शास्ति (9+10+11) .....
13. वेट अधिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर छूट की राशि .....
14. चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो) .....
15. समायोजित वापसी राशि (आर. ए. ओ. नं.) .....
16. योग (13+14+15) .....
17. शेष अतिरिक्त मांग (12-16) .....
18. वापसी की राशि (यदि कोई हो) .....
19. आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें) .....

मैं, ..... का प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/ ..... एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर : .....

फर्म का नाम : .....

## प्ररूप-ग

प्रवेश कर अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में  
अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी ( अधिकारी ),

.....

1. व्यापारी का नाम एवं पता .....
2. (टिन) करदाता का पहचान क्रमांक .....
3. क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की  
उपधारा (6) के अधीन 2011-12 के संबंध में हां/नहीं  
किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था.  
यदि "हां" तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें.
4. ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक .....
5. सकल क्रय राशि .....
6. कटौतियां :-  
(1) धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल का क्रय मूल्य .....
- (2) स्थानीय माल का क्रय मूल्य .....
- (3) स्थानीय माल को छोड़कर रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय  
किए गए माल का क्रय मूल्य .....
- (4) अन्तर्राज्यीय माल के विक्रय का में गए क्रय मूल्य .....
- (5) प्रदेश के बाहर विक्रय/ट्रान्सफर में गए माल का क्रय मूल्य .....
- (6) निर्यात के अनुक्रम में गए माल का क्रय मूल्य .....
- (7) पुनः विक्रय हेतु अनुसूची-तीन के माल का क्रय मूल्य .....
- (8) अन्य कटौतियां (विवरण एवं साक्ष्य दें) .....
- (9) कुल कटौतियां .....
7. कर योग्य क्रय राशि (5-6) .....
8. कर योग्य क्रय राशि पर कर की गणना .....

दर	कर योग्य क्रय राशि	देय कर
1 प्रतिशत		
2 प्रतिशत		
अन्य दर .....		

9. कुल देय प्रवेश कर .....
10. वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार  
ब्याज की राशि, यदि कोई हो .....
11. वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार  
शास्ति की राशि (यदि देय हो) .....
12. योग (9+10+11) .....
13. मुजराई (यदि कोई हो) .....

14. वापसी समायोजन की राशि (आर.ए.ओ.न.) .....
15. योग (13+14) .....
16. शेष मांग (12-15) .....
17. चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो) .....
18. शेष अतिरिक्त मांग (16-17) .....
19. वापसी की राशि (यदि कोई हो) .....
20. आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें) .....

मैं, ..... का प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/ .....  
 एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं.

स्थान :  
 दिनांक :

हस्ताक्षर : .....  
 फर्म का नाम : .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्र. एफ ए 3-20-2013-1-पांच (03).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-20-2013-1-पांच (03), दिनांक 5 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th February 2014

No. FA-3-20-2013-1-V (03).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I-B) read with sub-section (2) of Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies the following class of registered dealers whose assessments cases are pending under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), for year 2011-12 and directs that their assessments shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1) of Section 20 of the Vat Act, subject to the following requirements, restrictions and conditions :—

1. **The class of registered dealers.**—The registered dealers having annual turn over up to Rupees 10 crore during the year 2011-12, but does not include the following :—

- (1) Such Industrial unit which are eligible to avail of the facility of exemption/deferment of payment of Tax /Investment Promotion Assistance under any notification issued by the Government of Madhya Pradesh.

**FORM-B**

Application under the Notification No. .... dated .....

for the assessment case of year 2011-12 under Central Sales Tax Act, 1956

To,

The Assessing Authority, (Officer)

.....

.....

1. Dealer's name and address .....
2. TIN (Tax payers Identification Number) .....
3. Whether a notice under sub-section (5) of Section 18 or sub-section (6) of Section 19 was issued for any period in respect of 2011-12. If "Yes" then attach copy of notice. Yes/No
4. Description and date of compliance of such notice .....
5. Gross Inter State sales
6. Deductions
  - (a) Sale price of wholly tax free goods
  - (b) Subsequent sales (attached Form C and E-1/E-2 along with list)
  - (c) Other deductions (give details and evidence thereof)
- Total deductions :
7. Taxable sales (5-6)
8. Rate wise classification of taxable sales.

Description	Sales turnover	Rates of tax	Amount of tax
1. Sales against 'C' Form declarations (as per list)			
2. Sales without 'C' Form declaration			
3.			
4.			
9. Total tax payable			
10. Amount of interest (If payable) as per clause (a) of sub-section (4) of Section 18 of Vat Act.			
11. Amount of penalty (If payable) as per clause (b) of sub-section (4) of Section 18 of Vat Act.			
12. Total Tax payable, interest thereon and penalty, (9+10+11).			



(2) If any defect as aforesaid is found, a show cause notice shall be issued after recording the reasons thereof and the date of hearing shall be fixed and communicated to the applicant.

(3) The applicant shall rectify the defect, if any, and file the documents. After the removal of defects the competent officer shall accept the application and thereupon assessment shall be deemed to have been made.

(4) If the dealer remains absent on the date fixed for hearing or the defect is not removed, the application shall be rejected and intimation thereof shall be sent to the dealer:

(5) The intimation for acceptance of the application shall be sent within 30 days from the date of application. In case communication within above mentioned period is not given to the dealer, it shall be presumed that his application has been accepted.

(6) Appropriate instructions for the implementation of the scheme may be issued by the Commissioner, Commercial Tax.

**FORM-A**

Application under the Notification No. . . . . dated . . . . .

for the assessment case of year 2011-12 under Madhya Pradesh Vat Act, 2002

To,

**The Assessing Authority, (Officer)**

.....  
 .....

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | Name and address of Dealer  | .....   |
| 2. | (TIN) Tax payers Identification No  | .....   |
| 3. | Whether a notice under sub-section (5) of Section 18 or sub-section (6) of Section Section 19 was issued for any period in respect of 2011-12. If "Yes" then attach copy of notice. | Yes/ No |
| 4. | Description and date of compliance of such notice   | .....   |
| 5. | Gross turnover  | .....   |
| 6. | Deductions :-   | .....   |
|    | (a) Cost of freight or delivery or installation separately charged  | .....   |
|    | (b) Amount of cash discount   | .....   |
|    | (c) Amount of sales return within six months  | .....   |
|    | (d) Amount of sale of goods declared tax free   | .....   |
|    | (e) Sales outside the State/amount of branch transfer (Attach 'F' form along with list).  | .....   |
|    | (f) Amount of Inter State sales   | .....   |
|    | (g) Sales in the course of export out of the territory of India.  | .....   |
|    | (h) Other deductions (give particulars and evidence)  | .....   |
|    | <b>Total deductions (a to h)</b>  | .....   |
| 7. | Taxable Turnover (5-6)  | .....   |

**8. Rate wise classification of taxable turnover**

Rate of tax	Total Sales	Tax payable
13 percent		
5 percent		
4 percent		
other rate, if any,		
Total		

**9. Purchase Tax**

Rate	Taxable purchase price	Purchase tax payable
13 percent		
5 percent		
4 percent		
other rate of tax		
Total		

**10. Reversal of Input tax rebate**

Rate	Turnover	Reversed Input tax
13 percent		
5 percent		
4 percent		
other rate of tax		
Total		

**11. Gross Total ( 8+9+10)****12. Calculation of input tax rebate**

Rate	Turnover	Input tax
13 percent		
5 percent		
4 percent		
other rate of tax		
Total		

13. Carry forwarded Input tax rebate amount by the Assessing Officer in the assessment case of year 2010-11 .....
14. Amount of Input tax rebate adjusted against VAT .....
15. Amount of Input tax rebate adjusted against Central Sales Tax. ....
16. Amount of Input tax rebate transferred to other Registered Dealer .....
17. Amount of Input tax rebate carried over for the year 2012-2013. ....
18. Remaining demand payable (11-14) .....
19. Amount of interest (if payable) according to Section 18(4)(a) .....
20. Amount of penalty (if payable) according to section 18(4)(b) .....
21. Total amount of tax, interest and penalty payable (18+19+20) .....
22. Amount deposited by challan (if deposited previously) .....
23. Amount of TDS Certificates (Attach TDS Certificates) .....
24. Amount of refund adjustment order (RAO No.) .....
25. Total amount deposited (22+23+24) .....
26. Remaining additional demand (21-25) .....
27. Amount of refund, if any .....
28. Amount of refund due to brought forward Input tax rebate .....
29. Specify the reasons of difference as shown in the amounts of column 13 and column 28 .....
30. Amount deposited at the time of application (Challan number and date) .....

I,..... Proprietor/Partner/Director of.....  
 ....., hereby, verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place : .....

Signature .....

Date : .....

Name of Firm .....

.....

**FORM-B**

Application under the Notification No. .... dated .....

for the assessment case of year 2011-12 under Central Sales Tax Act, 1956

To,

The Assessing Authority, (Officer)

.....  
.....

1. Dealer's name and address .....
2. TIN (Tax payers Identification Number) .....
3. Whether a notice under sub-section (5) of Section 18 or sub-section (6) of Section 19 was issued for any period in respect of 2011-12. If "Yes" then attach copy of notice. Yes/No
4. Description and date of compliance of such notice .....
5. Gross Inter State sales
6. Deductions
  - (a) Sale price of wholly tax free goods
  - (b) Subsequent sales (attached Form C and E-1/E-2 along with list)
  - (c) Other deductions (give details and evidence thereof)
- Total deductions :
7. Taxable sales (5-6)
8. Rate wise classification of taxable sales.

Description	Sales turnover	Rates of tax	Amount of tax
1. Sales against 'C' Form declarations (as per list)			
2. Sales without 'C' Form declaration			
3.			
4.			
9. Total tax payable			
10. Amount of interest (If payable) as per clause (a) of sub-section (4) of Section 18 of Vat Act.			
11. Amount of penalty (If payable) as per clause (b) of sub-section (4) of Section 18 of Vat Act.			
12. Total Tax payable, interest thereon and penalty, (9+10+11).			

13. Amount of Input tax rebate adjusted against the Central Sales Tax from Vat Act.
14. Amount deposited by challan (if deposited previously)
15. Amount of refund adjustment (RAO No.)
16. Total (13+14+15)
17. Remaining additional demand (12-16)
18. Amount of refund (if any)
19. Amount deposited at the time of application (specify challan number and date)

I, ..... Proprietor/Partner/Director of ..... hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place : .....

Signature .....

Date: .....

Name of Firm .....

.....  
.....

**FORM-C**

Application under the Notification No. .... dated .....

for the assessment case of financial year 2011-12 under Entry Tax Act.

To,

The Assessing Officer

.....  
.....

1. Name and address of Dealer .....
2. (TIN) Taxpayers Identification No .....
3. Whether a notice under sub-section (5) of Section 18 or sub-section (6) of Section Section 19 was issued for any period in respct of 2011-12. Yes/ No  
If "Yes" then attach copy of notice.
4. Description and date of compliance of such notice .....
5. Gross purchase amount .....
6. Deduction :— .....
- (1) Purchase price of goods exempted from entry tax under Section 10. ....
- (2) Purchase price of local goods .....

(3)	Purchase price of goods purchased from registered dealer, other than local goods.	.....
(4)	Purchase price of Inter State sales of goods	.....
(5)	Purchase price of sales/transfer of goods outside of the State.	.....
(6)	Purchase price of goods in the course of export	.....
(7)	Purchase price of schedule III goods of resale	.....
(8)	Other deductions (Give details and evidence thereof)	.....
(9)	Total deductions	.....
7.	Taxable purchase price (5-6)	.....
8.	<b>Calculation of tax on taxable purchase</b>	

	Rate	Taxable purchase	Tax Pay able
(1)	1 percent		
(2)	2 Percent		
(3)	Other rate		

9.	Total Entry Tax payable	.....
10.	Interest payable, if any, as per clause (a) sub-section (4) of Section 18 of Vat Act.	.....
11.	Amount of penalty (If payable) as per clause (b) sub-section (4) of Section 18 of the Vat Act.	.....
12.	Total (9+10+11)	.....
13.	Set off (if any)	.....
14.	Amount of refund adjustment (RAO No.)	.....
15.	Total (13+14)	.....
16.	Remaining demand (12-15)	.....
17.	Amount deposited by challan (if deposited previously)	.....
18.	Remaining additional demand (16-17)	.....
19.	Refund amount, if any	.....
20.	Amount deposited at the time of application (specify challan number and date)	.....

I, ..... Proprietor/Partner/Director of .....  
 ..... hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place : .....  
 Date : .....

Signature .....  
 Name of Firm .....  
 .....  
 .....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
 RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.